[श्री पी० सी० सठी]

तो चले गये लंच खाने। वह जानकारी मैंने यहां दे दी है।

एक माननीय सदस्य : आप उन्हें खाने पर बुलाये।

श्री पी० सी० सेठी खाना तो राजस्थान मे अच्छा बनता है। ऊपर इतना घी होता है। बीकानेर के पापड मशहूर है। अगर वह पार्लियामेंट के सब सदस्यो को ला कर दे, तो अच्छा होगा।

जहा तक डिफेंस डिपार्टमेंट की आवश्यकता का सम्बन्ध है, मेरी कांस्टीट्युएन्सी मे उसने वहाँ मे फायरिंग रेंज के लिए जमीन ले रखी है। आप कहेंगे कि फायरिंग तो सात दिनो मे एक दिन होता है, बाकी दिन वहा गायों को चरने दिया जाये। यह सम्भव नही है। कम्पेंशन को भी देखना पडता है। अगर डिफेंस डिपार्टमेंट ने चारे की कोई जमीन ले रखी है, तो कल वहा पर किसी नये कमबैट कालेज का फायरिंग रेंज बन जाता है, जहा नये वैपन्ज के इस्तेमाल की प्रैक्टिस की जा सकती है। तब इन चीजो को देखते हुए डिफेंस के एक्वीजीशन या रिक्वीजीशन के बारे मे आम तौर पर कोई आम सलाह नही दी जाती। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करती है उस का पता दूसरी मिनिस्ट्रीज को भी नही लगता क्योंकि वह डिफेंस का सवाल है, उस की चर्चा न तो पार्लियामेंट मे की जा सकती है और न डिफेंस मिनिस्ट्री हम से करती है। हा, हाउसिंग के बारे मे आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कभी कभी जमीन अस्पताल के लिए लेनी पडती है क्योंकि आप को बीमारी हो जाय और उस के लिए माकूल इंतजाम न हो तो काम कैसे चलेगा? इस मे यह बात जरूर है कि एनामलीज़ है। मैं इस को स्वीकार करता हू कि अभी तक यह एडहाक बेसिस पर चलता चला आ रहा है। आप ने कहा कि इस का एक ही उत्तर आया है पिछले चार पाच सालो मे तो अगर आप पिछली बहस उठा कर देखे तो उस मे जो प्रश्न और मुद्दे उठे है वह भी तीनो चारो सालो मे एक ही उठे है। यह तो ऐसी बात है कि इसमे डिफेंस का और उन का फैसला नही हुआ तो मिनिस्टर क्या करेगा? इस को तो वही जवाब देना है जो हकीकत है। मैं स्वीकार करता हू कि इस मे ब्यूरोक्रेटिक डिले है।

This delay should be cut to the maximum possible extent I would even like that there should be no delay. I would even go to the extent of saying that, when we requisition a property, as Mr. Chatterjee has suggested, if not full compensation, something should be given in advance, so that the party does not starve completely I respect these sentiments. The quantum can be decided. For example, when a government servant dies, immediately Rs. 5,000 or Rs. 10,000 are paid in lieu of whatever be the compensation. Something like that, based on the financial position, based on other constraints, given the resources, should be given. These are valuable suggestions which will be taken into consideration. I would request Mr. Daga to realise that, we had just taken over and we were busy supplying diesel and kerosene; therefore, this was at a very low priority and an Ordinance had to be passed One Minister was dealing with two Departments, and priorities were diesel and kerosene, and not this Ordinance. If we refer this Ordinance to a Select Committee, it will have no meaning. I agree that we should have a comprehensive legislation, but this is not the last Since 1939 we have been having this on an *ad hoc* basis many times. Let us try once more.

MR DEPUTY-SPEAKER. The question is

"That the Bill, as amended be passed"

The motion was adopted.

---

14 43 hrs

DISCUSSION ON THE TWENTY-FIFTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

MR DEPUTY SPEAKER: We now go to the next item relating to consideration of the Twenty-fifth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Mr Yogendra Makwana

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA):

Sir, I beg to move·

"That this House do consider the Twenty-fifth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and

Scheduled Tribes for the year 1977-78, laid on the Table of the House on the 1st February, 1980.

Under article 338 of the Constitution, the Government of India appoints a Commissioner for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to investigate and inquire into the conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country, and his Report is to be laid on the Table of the House. This Report was laid on the Table of the Rajya Sabha on the 1st February, 1980, and with Hindi translation, on 2nd February 1980, it was placed on the Table of this House. The Government of India considers this Report as a very valuable document because it gives many valuable suggestions and gives much information regarding the condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country. This Report is sent to all the States and to the Central Ministries which are concerned for implementation because direct implementation is to be done by the State Governments. This Report deals with the mani-fold aspects of the condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes But Government considers the economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as the very important aspect. So far as the economic development of these communities is concerned, Government is quite vigilant. It is the economic backward vigilant. It is the economic backwardness which plays an important role so far as atrocities on Harijans are concerned. If they are economically uplifted and if they become economically sound, then I do not think there will be more atrocities on the Harijans. Therefore, the Government is very keen to see that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are uplifted economically and many schemes have, therefore, been evolved by the Government.

At State levels a Scheduled Castes Welfare Corporation is also formed and the Central Government is providing more funds to them. For the economic upliftment of the Scheduled Tribes, there is a tribal sub plan and a certain amount is earmarked every year in this plan for the economic upliftment of the Scheduled Tribes. For the Scheduled Castes, in 1975 the present Prime Minister who was also Prime Minister at that time addressed the State Ministers and as a follow-up of that conference, a special component plan was evolved. Now, therefore, for the upliftment of the Scheduled Castes, in all States there is a special component plan. For the Tribals there is a Tribal Sub-Plan and for the Scheduled Castes there is a special component plan for their welfare.

So far as the Central Government is concerned, central assistance is given to the Tribals Sub-Plan and, therefore, many works are done under this Plan. For the special component plan also the government is providing funds and the State governments are implementing it.

So far as the condition of the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes is concerned, is still pathetic They are the most downtrodden—not only downtrodden but they are living below the poverty line. Sir, the House will be rather not happy to hear that 65 per cent of the Scheduled Castes and 18 per cent of the Scheduled Tribes are bonded labourers. The National Sample Survey recently conducted a sample survey and according to that survey 65 per cent of the Scheduled Castes and 18 per cent of the Scheduled Tribes are bonded labour. So, for the amelioration of their condition and for their economic upliftment, the government has to do many things.

So far as literacy is concerned, in 1931 the literacy among the Scheduled Castes was 1.93 per cent. In 1961 it went upto 10.27 per cent. In 1971 it was 14.7 per cent. So far as the Scheduled Tribes are concerned, in 1931

[Shri Yogendra Makwana]

it was 9.7 per cent. 1961—8.54 per cent and it went upto 11.30 per cent in 1971. This is not a happy state of affai - compared to the literacy of the rest of the population of the country which is 33.80 per cent excluding the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, Sir, a lot of leeway still remains to be covered in this regard. The government is very vigilant about it because this literacy ratio itself shows that still we have to do many things for them. Because they are illiterate and because they are economically not well off, they are dependent on the higher castes of the society. Their main profession is land labour but they are landless. Since they are landless labourer, new rich class has come up in many parts of the country and they commit atrocities on them. So far as the atrocities are concerned, the government has taken certain steps.

Recently, the Home Minister has written letters to the Chief Ministers, Governors and Lieutenant Governors of different States in which certain guidelines have been provided for the protection of scheduled castes and scheduled tribes. These guidelines are there. But, we require the change of minds of the people in this country. As in the other House, it was rightly pointed out by one hon. Member that it is the religious leaders of this country who can do something in the matter. I certainly expect some contributions from them. How much they can contribute I do not know. But I can appreciate if they come forward for the removal of untouchability from this country and for taking interest in the welfare of these communities. I may not be going out of the way if I tell something about the foreign missionaries in this country. The Christian Missionaries are doing a commendable job in our forests, in the interior parts of our country; as compared to them religious leaders of this country have not so far come forward to do the job for the benefit of these communities, who are the most downtrodden and backward communities in this country.

Sir for this reason, because there is illiteracy, because there is economic backwardness and because these people are socially backward, when Shrimati Indira Gandhi was the Prime Minister, in 1975, the Civil Rights Protection Bill was passed in both Houses of Parliament and it became an Act. Under this Act, certain provision are there for the protection of the scheduled castes and scheduled tribes and ,if they are really implemented which we are pressing hard all the State Governments, then, it will give adequate protection to the scheduled caste communities.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): It is not giving adequate protection.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: As rightly pointed out, the Government is committed for doing that. Therefore, the Home Minister has written a letter providing for certain guidelines for the implementation of that Act I myself am visiting different States for reviewing the work done by them I have visited Gujarat and I have done the reviewing work of the Gujarat Government. The next exercise that I have done is in Maharashtra. Recently, that is, last Sunday, I was in Maharashtra and I have reviewed the position in Maharashtra also. As a result of such a review, considerable improvement has been made. For Gujarat the special component fund earmarked was 2.87 per cent. Now, they have raised it to near about 4.4 per cent. In Maharashtra also, I have asked them to raise the limit and if this limit is raised in the amount earmarked for the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes, a lot of work can be done in this direction and they can be economically lifted There are reservations for these communities in Government service as also in the political institutions. But, so far as reservations

in the Government services are concerned, I must admit that it is done only in Class III services. But, so far as Class I and Class II services are concerned, still the backlog remains to be filled. We are pressing the State Governments hard as also the banking and other institutions that they should come forward for the recruitment of scheduled castes and scheduled tribes so that no backlog remains.

As I said in the beginning, this Government is committed to the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes and of the backward classes of this country irrespective of their castes. We are committed for the upliftment of all the economically backward people of this country. It becomes a special responsibility of the Government of India because under Art. 338 of the Constitution, the special responsibility is cast upon the Government of India. Therefore, the Government of India has taken care of this community.

Therefore, this Report is before the House.

15 hrs.

I am placing this before the House for discussion. I have been looking forward for this discussion from all hon. Members of this House and I am certain that Members will come forward with their suggestions—valuable suggestions and also constructive suggestions. I welcome all hon. Members to participate in the discussion of this important subject and to give their valuable suggestions to the Government of India, which, I can assure all hon. Members, we will try our best to implement and to see that something is done in this direction.

With this, I move.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That this House do consider the Twenty-fifth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1977-78, laid on the Table of the House on the 1st February, 1980."

Now, Shri Chandrajit Yadav.

PROF. N. G. RANGA: Will he be kind enough to indicate the guidelines circulated to the States?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Kindly read it. I have already placed it on the Table.

MR. DEPUTY SPEAKER: I have called Shri Chandrajit Yadav.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी, पिछले 33 वर्षों के बाद आज भी यह देश के लिये सब से दुख, चिन्ता और शर्म की बात है कि हमारे देश की आबादी का इतना बडा भाग, जो अनुसूचित जातियों और जन जातियों के नाम से जाना जाता है, बहुत ही दयनीय स्थिति की जिन्दगी बसर कर रहा है। यह दुख की बात है कि हमारे देश की जो आबादी है, उस का आधा भाग आज गरीबी की सीमा के नीचे रहता है और उस गरीबी की सीमा के नीचे रहने वालों मे सब से ज्यादा गरीब, सब से ज्यादा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पददलित समझे जाने वाले वे लोग हैं जो इन दो वर्गों के लोग हैं।

अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने इसमे व्यक्तिगत दिलचस्पी ली है, सरकार बहुत सतर्क है और इसके लिये काम कर रही है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पिछले 33 वर्षों से यही गीत गाया जा रहा है। चाहे शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट हो, चाहे इस सदन के अन्दर भाषण हो, चाहे इस देश के 'प्लानिंग कमीशन के दस्तावेज हो, चाहे इस देश की राजनीतिक पार्टियों के प्रस्ताव हों जहां भी आप देखेंगे-- यही गीत गाया जाता है और सभी अपनी हमदर्दी इस वर्ग के साथ दिखलाते है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद यह दुख की बात है कि इस देश का इतना बड़ा हिस्सा न केवल अपनी रोटी के लिये, न केवल अपनी रोजी के लिये, न केवल मकान के लिये, न केवल इन्सानी जिन्दगी बसर करने के लिये, बल्कि अपनी जिन्दगी और इज्जत के लिये भी दूसरो पर मुहताज है। इससे बढ़कर किसी देश के लिये राष्ट्रीय कलंक और शर्म की बात नही हो सकती है। मै समझता हू-आज राष्ट्र का तकाजा है कि सरकार इस बात का निश्चय करे कि किस तरीके से अपनी सारी योजनाओं को, अपने सारे आर्थिक कार्यक्रमों को, अपने सारे सामाजिक

कार्यक्रमों को इस तरह फिर से निर्धारित करे कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस बात को दी जाये कि कैसे इनकी गरीबी को मिटाया जा सकता है। मंत्री जी ने ठीक ही कहा है और रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि इसका मूल कारण गरीबी है, लेकिन प्रश्न यह है कि यह गरीबी कैसे मिटेगी ? इनकी गरीबी को मिटाने के लिये सरकार का क्या इरादा है ?

पिछले दिनों इस बात का काफी ढिन्ढोरा पीटा गया कि सरकार हरिजनों को जमीन बांट रही है। इस तरफ थोड़े-बहुत कदम उठे भी, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन जिन जमीनों का बटवारा किया गया' उसका नतीजा इस देश मे क्या हुआ ? जो मौजूदा रिपोर्ट है, वह खुद इस बात को कहती है---इसके इंट्रोडक्शन मे कहा है---कि 2 मिलियन हैक्टेयर--इसमे दो मिलियन एकड़ लिखा है, जो गलत है, रिपोर्ट के मुख्य भाग मे हैक्टेअर लिखा है--

"Out of about 2 million hectares of land declared surplus, hardly 25 per cent of the area has been distributed. Not more than 1/3rd of the land distributed has accrued to the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

सारी जमीन जो मिली और बांटी गई, उसका 8 फीसदी हिस्सा ही शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दिया गया। कहां से इस तरह से गरीबी दूर हो सकती है, अगर सरकार का यही रुख होगा और इस तरह से सरकार काम करेगी इनके लिए तो निश्चित रूप से इन ग़रीबों की ग़रीबी नहीं मिट सकती आज स्थिति यही है। इस देश के अन्दर 60.45 मिलियन ऐसे हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं और इनमें 50.24 मिलियन ऐसे लोग हैं, जो कैजुअल लेबरर्स हैं। ये कौन लोग कैजुअल लेबरर्स हैं ? यह सारी दुनिया जानती है और सारा देश जानता है कि इन कैजुअल लेबरर्स में सबसे बड़ी सख्या शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स और दूसरे अत्यन्त ग़रीब और बैकवर्ड क्लासेज की है। देश में ऐसे लोगो की सख्या बढ़ती जा रही है, यह खुद सरकार मानती है, जो या तो बिल्कुल बेकार है या अर्द्ध-बेकार हैं लेकिन उनके लिए क्या किया जा रहा है और उनकी तरफ क्या कोई ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे उनको काम मिल सकता है। क्या सरकार की कोई निश्चित योजना इसके लिए है ? कोई योजना इसके लिए नहीं है। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि बोंडेड लेबरर्स 66 परसेंट अनुसूचित जातियो में और 18 परसेंट अनुसूचित जनजातियों मे हैं। यह हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि आजादी के 33 साल बाद भी इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों में बोंडेड लेबरर्स रहे। कहां सरकार के दिल में ऐसा जजबा है या उसके दिमाग मे ऐसी बात है कि इस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर उसके दिमाग में ऐसी बात थी, तो क्यों नही इस बात को प्राथमिकता दी गई। अगर प्राथमिकता दी गई होती, तो एक पचवर्षीय योजना में और अधिक से अधिक दो पचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत इस देश से बोंडेड लेबर बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए थी लेकिन उसकी तरफ़ कोई ध्यान नही दिया गया है और महज उसके लिए कुछ करने के गीत गा दिये जाते है, महज शाब्दिक हमदर्दी की बाते की जाती हैं लेकिन जब योजना बनती है और जब उनके लिए धन उपलब्ध कराने की बात आती है, तो इस बात को बिल्कुल नजरान्दाज कर दिया जाता है और जब सरकार के लिए कुछ करने की बात आती है, तो उनके लिए कुछ नही किया जाता है।

अभी मंत्री महोदय ने चर्चा की कि मौजूदा प्रधान मंत्री जी के जमाने मे एक खास एक्ट पास किया गया जिससे जो इस देश के गरीब लोग हैं, जिनको आज छूआछूत का शिकार होना पड़ता है, उन्होंने उनके लिए एक विशेष एक्ट बनाया है, जिसको पी०सी०आर० एक्ट कहते हैं, मगर यह जो रिपोर्ट है, इसमे क्या कहा गया है यह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हू :

"No one who is familiar with the social climate prevailing in the rural areas would advance argument that untouchability has declined in real terms. The P.C.R. Act provide for survey and identification of disability areas setting up special courts, summary trials in cases under certain sections of the Act and imposition of collective fines. No State Government has so far set up special courts nor has gone in for summary trials or imposition of collective fines even when large scale acts of physical violence were committed against Scheduled Castes and in pursuit of the nefarious practice of untouchability these potent provisions of the Act were not brought into force. No State Government has so far conducted any survey as required by the Act In such a state of affairs, it may not be possible to agree that the Act has been administered with the needed promptness".

मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह की शासन व्यवस्था है, उस में जिस ढंग के लोग बैठे हुए हैं जिन विचारों के लोग बैठे हुए हैं, आप चाहे कितने ही कानून बना लीजिए, उन कानूनों का पालन नहीं होता और कानून का अगर पालन नहीं होता है तो वह इसलिए है कि पालिटिकल लीडरशिप में यह विल-पावर नहीं है कि ईमानदारी से इस बात को इम्प्लीमेंट कराए। आप के विभागों में जो आप की सारी मशीनरी है, उस के अन्दर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जो दसवीं और बीसवीं सदी के मध्यकालीन युग की जहनियत रखते हैं। कानून तो बन जाता है, रुपया उपलब्ध करा दिया जाता है लेकिन छुआछूत इस देश में कायम रहेगी। इस देश में साम्प्रदायिकता कायम रहेगी इस देश में न कोई बलवे और दंगे हो सकते थे और न इस देश में गरीब हरिजनों को बस्तियां जलाई जा सकती थीं, अगर ईमानदारी से ऐसे लोग इस मशीनरी में होते जिन में जजबा होता, जिन में निष्ठा होती इन लोगों के लिये कुछ काम करने की, लेकिन अब तक क्या हुआ है। मैं पार्टियों से ऊपर उठ कर इस बात को कहना चाहता हूं कि यह किसी एक पार्टी का सवाल नही है, एक प्रदेश का सवाल नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय सवाल है। आज पार्टियों को इस बात की होड़ नहीं लगानी चाहिए कि किस ने इन के लिए क्या काम किया और किस की जिम्मेदारी है। मैं किसी पार्टी को जिम्मेवार ठहराने की बात नही कह रहा हूं। इस में हम सब भागीदार रहे हैं। लेकिन आज वास्तविकता क्या है हम गरीबों और हरिजनों के बहुत गीत गाते हैं लेकिन हरिजनों और गरीबों को नौकरी देने के बारे में आप की रिपोर्ट क्या कहती है ?

"In the Services under the Central Government where the rules and regulations issued by the Government from time to time since 1951 are applicable from the date of their issue, the representation of Scheduled Castes as on 1-1-1978 to Class I (Group A), Class II (Group B) and Class III (Group C) was 4.49, 6.93 and 11.46 per cent and for scheduled castes, the corresponding percentages were 0.84, 0.87 and 0.21 respectively, against the percentage of reservation fixed at 15 per cent and 7.5 per cent respectively."

33 साल के बाद यह स्थिति है। क्या हम उन के लड़के तैयार नहीं कर सकते ? क्या इन जातियों के अन्दर होनहार लड़के नहीं हैं ? क्या उन में क्षमता नहीं है ? क्या उन को शिक्षित, प्रशिक्षित करके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था ? यह सब इसलिए नहीं होता है कि जो इसको कार्यान्वित करते हैं न उन में इस के लिए भावना है, न जजबा है और न उन के पास इस सब के लिए कोई विचार है। फिर यह काम कैसे हो ?

श्रीमन् एट्रोसिटीज की चर्चा यहां की गयी। इस की फिगर्स मैं देना नहीं चाहता। इस रिपोर्ट में वे सब दी गई हैं कि सन 1976 के अन्दर वे करीब 42 पर सेंट और 77 के अन्दर 75 पर सेंट बढ़ गयी हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो या जनता गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंटों के अन्दर हरिजनों के ऊपर हमले और अत्याचार बराबर बढ़ते गये हैं। पिछले दो महीनों में हम ने क्या देखा ? इन्सान का दिल टूट जाता है जब वे घटनाएं देखने को मिलती हैं। यह जानकर आश्चर्य होता है कि बीसवीं शताब्दी के अन्दर बिहार प्रदेश में पिपरा जैसे गांव पर हमला किया जाता है, पूरा का पूरा गांव जला दिया जाता है। छः महिलाओं और चार बच्चों को जिन्दा जला दिया जाता है। भाले की नोक पर दो साल के बच्चे को उछाल कर मार दिया जाता है। जब गरीब हरिजनों और उन की औरतों और बच्चों के साथ यहां यह होता है तो दुनिया के और देशों के सामने या संयुक्त राष्ट्र संघ में जा कर कैसे हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कुछ कह सकते हैं। यह सब आज हमारे देश के अन्दर हो रहा है। और वहां हो रहा है जहां प्रेजीडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, किसी पार्टी की हुकूमत नहीं है। उन प्रधान मंत्री की हुकूमत में यह सब हो रहा है जिन के लिए बराबर यह कहा जाता है कि वे हरिजनों की सबसे ज्यादा हमदर्द हैं। पर हो क्या रहा है ? मैं प्रार्थना कर के कहना चाहता हूं कि चाहे प्रधान मंत्री हों या कोई और मंत्री हों, इस को किसी राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। आज केन्द्रीय सरकार यह नहीं कह सकती कि राज्य सरकारें काम नहीं कर रही हैं। आज आगरा में, मुरादाबाद में क्या हो रहा है वहां तो राष्ट्रपति शासन है। प्रधान मंत्री जब प्रधान मंत्री नहीं थीं तो बेलची जा सकती थी। मैं इस के खिलाफ नहीं हूं। उन्होंने अच्छा काम किया था उस समय बेलची जा कर के। उन के वहां से जाने से देश का ध्यान उधर गया था। उस वक्त अगर प्रधान मंत्री जी जब कि उन के हाथ में शक्ति नहीं थी, बेलची जा सकती थीं तो क्या कारण है कि अब वे पिपरा नहीं जा सकती थीं ? उस समय वे सारे हिन्दुस्तान में जा कर के दूसरों को दोष देती रहीं, सारे हिन्दुस्तान में जा कर के उन्होंने दूसरों पर आरोप लगाया। मेरा ख्याल है कि उस समय शायद उन्होंने यहां भी कहा था कि यह सरकार लोगों की रक्षा नहीं कर सकी। मगर दुःख की बात है, शर्म की बात है कि अब प्रधान मंत्री रहते हुए वे पिपरा नहीं गयी जहां कि 16 आदमी जिन्दा जला दिये गए। प्रधान मंत्री जी नारायणपुर तो चली गयीं जहां कोई मरा नहीं था, कोई घर नहीं जलाया गया था। चूंकि उत्तर प्रदेश की विरोधी दल लोक दल सरकार का तख्ता पलटना था, उसे बरखास्त करना था इसलिए वे नारायणपुर चली गयीं। मगर प्रधान मंत्री जी को पिपरा जाने का मौका नहीं मिला। यह कोरी राजनीति है, लोगों का प्रेम नहीं।

इसलिये श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इन प्रश्नों को आज राजनीति से परे रखना चाहिये। आज इन की समस्या क्या है ? यह आज सब से ज्यादा गरीब तबका है। भुखमरी अगर होती है तो इसी तबके के लोग सब से ज्यादा मरते हैं। आज

[श्री चन्द्रजीत यादव]

छुआछूत के एकमात्र शिकार इसी तबके के लोग हैं। कितने स्कूल और कालेजों में इनके लड़कों को वजीफा दिया जाता है? सैंकड़ों हजारों की तादाद में इन के लड़कों को इस देश के अन्दर वजीफा दिया जाता है। लेकिन उन का वजीफा दूसरे लोग खा जाते हैं। बहुत सी जगहों पर हरिजन लड़कों को साल भर वजीफा नहीं मिला। उन की पढ़ाई छूट जाती है। उन के खिलाफ हम क्या कार्यवाही करते हैं जो लोग इन के वजीफे खा जाते हैं। गरीब, हरिजनों के नाम पर झूठे दस्तखत बना कर के कर्जे ले लिये जाते हैं और उन की कुर्की होती है। देश में कुछ लोग निहित स्वार्थों के लोग उन के वजीफे खा जाते हैं। उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है? उन को मुश्किल से ही कोई मदद मिलती है उद्योग धंधा चलाने के लिए। सरकारी कर्मचारी जिस तरह से उन्हें परेशान करते हैं, गरीब तबके के लोग उस वजह से उधर जाने की हिम्मत तक नहीं करते हैं। आज करीब चार करोड़ लोग ऐसे हैं जो छोटे-छोटे उद्योगों में काम कर रहे हैं, जूते बना रहे हैं। चमड़ा बनाने आदि के काम कर रहे हैं। इन चार करोड़ लोगों की हालत सब से ज्यादा दयनीय है। सरकार की नीति यह है कि जूता बाटा बनायेगा चाहे इस देश में जातिगत या परम्परागत रूप से जूते बनाने की व्यवस्था रही है। अगर उन को छोटी मशीनें दे दी जाएं, कर्जे का प्रबन्ध कर दिया जाए तो वे बेहतर माल तैयार कर के आप को दे सकते हैं। लेकिन इस देश में टाटा ट्रकों की चेसिस बनाएगा, बसों की चेसिस बनाएगा, इस्पात पैदा करेगा और उस के साथ साथ साबुन और तेल और दूध का पाउडर भी वही बनाएगा, ऐसी व्यवस्था चल रही हो। हिन्दुस्तान लीवर विदेशी कम्पनी है वह भी इस तरह का सामान बना रही है। इस सब पर गहराई से सोचा जाना चाहिये। ऐसा सामान जैसे टैरिलीन है, नायलोन है और जो लग्जरी है इसको हमारे जैसा गरीब देश बरदाश्त नही कर सकता है। जरूरत आज इस बात की है कि काटेज इंडस्ट्री चाहे पावर लूम से चले या हथकरघे हैं, उन को बढ़ावा दिया जाये, लोगों को छोटी छोटी मशीनें दी जाएं जहां पहनने के लिए कपड़ा तैयार हो सके। पूरी की पूरी साबुन इंडस्ट्री, जूता बनाने की इंडस्टी साइकिल के पुर्जे बनाने की इंडस्ट्री कृषि औजार बनाने की इंडस्ट्री आदि इंडस्ट्रीज पर हमें खुले दिमाग से विचार करना होगा और देखना होगा कि क्या ये चीजें गृह उद्योगों में लघु उद्योगों में नहीं बनवाई जा सकती हैं। हिन्दुस्तान के पास प्रतिभा है, इस का हुनर है और उस का पूरा फायदा उठाया जाना चाहिये। यह जरूरी नहीं है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के ही तरीके हम अपनाएं हम उन को छोटी छोटी मशीनें दे सकते हैं, नया तकनीक उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। कर्जा और सहायता उन को दे सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद उन को दे सकते हैं, बाजार उन के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। यह सब कुछ किया जाए तो इन लोगों की स्थिति पहले से कहीं अच्छी हो सकती है।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर): आप स्टील मिनिस्टर रहे हैं। आप ने क्यों नहीं दिया।

श्री चन्द्रजीत यादव: आप ठीक कह रहे हैं। मैं ने इसलिए पहले कहा है कि किसी एक व्यक्ति को मैं दोष नहीं दे रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि पिछले 33 साल के अन्दर जितनी भी सरकारें आई हैं उन की नीतियों का क्या नतीजा निकला है? और आज समय की यह मांग है कि हम इस सारी समस्या पर ठंडे दिल से विचार करें और देखें कि इन नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिये ताकि उन की दयनीय स्थिति जो इस समय है, वह दयनीय आगे चल कर न रहे। इस वास्ते चूंकि मंत्री महोदय ने सुझाव मांगे हैं, इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूं।

मेरा पहला सुझाव यह है कि जो जमीन सरप्लस निकली है और जो आज तक बांटी नहीं गई है उस को बांटने के लिये सरकार को वार फुटिंग पर कार्रवाई करनी चाहिए और गांव के स्तर पर जमीन का बटवारा करने के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जिस में इन्हीं वर्गों के लोगों को लिया जाए जिन को यह जमीन मिलनी है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि पूरी औद्योगिक नीति पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिये। जो जो सामान गृह या लघु उद्योग में बन सकता है सरकार को देखना चाहिये कि वह सामान वहीं बनाया जाए और जो लोग परम्परा से किसी काम को करते आ रहे हैं, उन को उस काम में प्राथमिकता दी जाए, चाहे मशीनें देने के मामले में या कर्जा देने के मामले में या किसी और मामले में हो या उन के लिए बाजार उपलब्ध करने की बात हो।

मकान की उनकी समस्या भी बहुत गम्भीर है। उन के वास्ते सस्ते सामान को उपलब्ध कराया जाना चाहिये। आने वाली दो योजनाओं में सरकार खास तौर से इस बात को देखे कि देश के जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको मकान बना कर दे और इस जिम्मेदारी को सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये।

सरकार को गम्भीरता से यह भी सोचना चाहिये कि स्पेशल कोर्टस, जिन की काफी चर्चा इन दिनों हुई है और यह नाम काफी बदनाम भी हुआ है, क्या इन लोगों के लिये नहीं बनाई जानी चाहियें और समरी ट्रायल की व्यवस्था नही की जानी चाहिये और इन के सुपुर्द पिपरा कांड जैसे मामलों को सौंप कर समरी ट्रायल की व्यवस्था कर के दोषी लोगों को सजा नही दिलवाई जानी चाहिए ताकि आगे से इन लोगों पर इस तरह के हमले और इस तरह के जो अमानुषिक अत्याचार हैं, आक्रमण हैं उन को रोका जा सके? मैं समझता हूं, कि सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाना चाहिये।

श्रीमन्, इस सरकार को हर साल केवल यह रिपोर्ट ही नहीं बल्कि इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद सरकार के विभिन्न विभागों ने उस रिपोर्ट में जो खामियां सामने लायी गईं जो सुझाव दिये गये उनका किस प्रकार पालन किया है, इस बात की रिपोर्ट भी हमें मिलनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि अगले बजट सेशन में, जो सुझाव रिपोर्ट में दिए गए हैं

उसके इम्प्लीमेन्टेशन की रिपोर्ट भी सरकार सदन के सामने रखे ताकि हमें पता चले कि उनके पालन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। यह केवल पार्लियामेंट के अन्दर नहीं बल्कि विधान मंडलों के अन्दर भी इस प्रकार की रिपोर्ट सरकार को देनी चाहिए ।

मेरा आखिरी सुझाव है कि इस संसद् की एक कमेटी हो जिसको वाच डाग कमेटी की संज्ञा दी सकती है जो देखे कि शेड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स कमिश्नर की जो रिपोर्ट आती है उसका कैसे पालन किया गया और कौन सी सिफारिश ऐसी है जिसको नही माना गया है । इस बात को देखने के लिए एक सदन की कमैटी होनी चाहिए जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट इस सदन को देती रहे ताकि सदन ध्यान रखे कि उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री सूरज भान (अम्बाला) इसी रिपोर्ट को देखने के लिए कमेटी है।

श्री चन्द्रजीत यादव यह कमेटी नही, बल्कि वाच डाग किस्म की कमेटी बने जो देखे कि कितना पालन हो रहा है, और कितने का पालन नही हुआ है और उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए ।

यह बराबर सबकी नजर मे आता है कि एक गांव मे झगड़ा हो रहा है, जो सालो चलता है और उसका नतीजा यह होता है कि आखिर मे मर्डर होता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी सोचते रहते हैं । ऐसी पुलिस और सरकारी कर्मचारी, जिनके क्षेत्र में इस प्रकार के तनाव होते है और समय पर कदम नही उटाते है, उनके खिलाफ सरकार को सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए । महज ट्रान्सफर से काम नही चलेगा, अगर जरूरत पड़े तो उनको अदालत के अन्दर प्रोसीक्यूट करना चाहिए कि उनके रहते हुए उनके क्षेत्र के अन्दर इस तरह का तनाव बढ़ा और ऐसी दुर्घटना घटी । अगर सरकार ऐसा करे तो कम से कम राष्ट्र के ऊपर जो कलक लगा हुआ है, इतने लोग गरीब हैं, दयनीय स्थिति में है, पीने का पानी नही है, पेट भरने के लिए सूखी रोटी नही, बच्चो के लिए दवाई नही और उनकी बहूबेटियों की इज्जत और जिन्दगी पर अनायास हमले का मौका मिलता है, कम से कम उस कलंक से राष्ट्र बच सकता है ।

15.23 hrs.

STATEMENT RE TWO MISSING BLIND PERSONS FOLLOWING A DEMONSTRATION ON MARCH 16, 1980.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): In the morning, the Speaker had assured the House that, the issue which was raised yesterday regarding two missing blind men, the direction was given by the Speaker to the Home Minister that in the course of the day a statement should come before the House. We want to know whether the statement is coming before the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Two blind persons from Lucknow, namely, Vijay Singh and Hari Shanker who had participated in the demonstration on 16th March, 1980 were reported missing by the National Federation of Blind. I have been informed that one of these persons, Shri Hari Shanker has been located in Lucknow by the Lucknow police. According to the information received from SSP, Lucknow, 8 blind students had come to Delhi for the programme on the 16th of March and Hari Shanker was among them. The names of these persons are as follows:—

1. Hari Shanker Sunar
2. Arun Tiwari
3. Nathu Ram
4. Barsati
5. Ram Milan
6. Sukhi Ram
7. Sanjiv Kumar Tripathi
8. Shive Parkash Sukla.

All these persons have returned to Lucknow on the morning of 17th March, 1980.

It has been reported by the Lucknow police that Vijay Singh has no connection with Lucknow. He belongs to the Deoria District of U.P. and is said to be residing at Punchkuin Road, New Delhi. During enquiries, it has been verified that one Vijay Singh, resident of Bahadurgarh is present in the blind School at Panchkuin Road but he has denied participation in the programme of 16th March, 1980. According to the